25/6/18	पत्रावली पेश हुई। अभियोजक वादी अधिवक्ता बहस सुनी गयी बाद बहस फैसला किया गया है निर्णय अलग से लिखकर उद्घोषित कर अधिवक्तागण को सुनाया गया। डिक्री बने पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो।	
[signature]	[signature]	
	उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर [illegible] (भीलवाड़ा)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 12/2016/वाद पत्र	तारीख दायर 22.01.2016	तारीख फैसला 25.06.2018

उनवान

रामचन्द्र उर्फ लाला पिता जीवणराम नाई नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा
– वादी

बनाम

1– रामनिवास पिता भूरालाल नाई नि0 कलिंजरी गेट, शाहपुरा तह0 शाहपुरा
2– रामकिशन पिता जीवणराम नाई नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा
3– राकेश पिता गंगाराम उर्फ बाबूलाल नाई नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा
4– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है:– कस्बा शाहपुरा मे वादी तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के अग्रज जीवणराम के खाते की कृषि भूमि साबिक आ0न0 555 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आ0न0 556 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आन0 557 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। जीवणराम की मृत्यु के पश्चात् इन्तकाल नं0 116 खोला गया जिसमे जीवणराम के उत्तराधिकारी भूरालाल, रामकिशन, गंगाराम एवं वादी रामचन्द्र उर्फ लाला का नाम भी दर्ज किया गया किन्तु तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम हटा दिया गया केवल मात्र भूरालाल, रामकिशन व गंगाराम का नाम ही राजस्व रेकार्ड मे रखा गया इसलिये वादी को यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। उक्त कृषि भूमि मे से 1967 से आ0न0 555 एवं 556 का बिकाव कर दिया गया। उस समय वादी नाबालिग था और बिकाव को काफी वर्ष हो गये इसलिये उक्त आराजी के बारे मे कोई विवाद नही कर रहा है लेकिन आ0न0 557 मे भी वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे नही है जबकि वादी का नाम प्रतिवादीगणों के साथ राजस्व रेकार्ड मे होना चाहिये। उक्त आराजी न0 557 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा के पेमाईश बाद के नम्बर 1803 रकबा 0.01 है, 1804 रकबा 0.37 है0 कुल किता 02 रकबा 0.38 है0 बने है। उक्त कृषि भूमि मे प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के साथ वादी को भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। अतः कस्बा शाहपुरा मे स्थित आ0न0 1803 रकबा 0.01 है0, आ0न0 1804 रकबा 0.37 है0 कुल किता 02 रकबा 0.38 है0 भूमि का प्रतिवादीगण के साथ वादी को सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि विवादित कृषि भूमि को हस्तान्तरित नही किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 29.11.2016 को प्रतिवादी नं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री गोविन्दसिंह हाड़ा ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रतिवादी नं0 2 व 3 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नं0 4 ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण प्रतिवादी नं0 1 व 4 के जवाब दावा हेतु नियत किया गया। दिनांक 23.01.2017 व 22.03.2017 को जवाब हेतु अन्तिम अवसर, न्याय हित मे अवसर दिये गये। दिनांक 26.04.2017 को 100/– रूपये कोस्ट पर अवसर दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जवाब आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे अन्यथा जवाब स्वतः बन्द समझा जावेगा। दिनांक 13.11.2017 को प्रतिवादी नं0 1 एवं 27.03.2018 को प्रतिवादी नं0 4 का जवाबदावा बन्द किया जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 11.04.2018 को वादी स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। दस्तावेज भी पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये । मूल दस्तावेज पर प्रदर्श लगाये गये। ग्राम शाहपुरा की जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 के खाता संख्या 753 जिसमे जीवन वल्द खाजू कोम नाई सा0 देह के नाम पर आ0न0 557 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है जो प्रदर्श – 1 है। ग्राम शाहपुरा की जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 के खाता संख्या 27 जिसमे भूरालाल, रामकिशन, गंगाराम पिता जीवण नाई सा0 देह के नाम पर आ0न0 557 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है जो प्रदर्श – 2 है। नामान्तरकण संख्या 116 मे विरासत से जीवण के बजाय भूरालाल, रामकिशन, गंगाराम, लाला पिता जीवण नाई सा0 देह के नाम खोला गया किन्तु तहसीलदार द्वारा निर्णय मे भूरालाल, रामकिशन, गंगाराम को उत्तराधिकारी बताते हुये निर्णित कर दिया। नामान्तरकण प्रदर्श – 3 है। मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श – 4 है जिससे वाद की पुष्टि होती है। जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 खाता संख्या 2100 मे रामनिवास पिता भूरालाल 2/9, मु0 गुलाबी देवी बेवा भूरालाल 1/9, रामकिशन 1/3, गंगाराम 1/3 पिता जीवण नाई सा0 देह आ0न0 1803 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 आ0चा0 व आ0न0 1804 रकबा 0.37 है0 कुल किता 02 रकबा 0.38 है0 दर्ज रेकार्ड है जो प्रदर्श – 5 है। वादी रामचन्द्र मूल फोटो प्रहचान पत्र प्रदर्श – 6 है। व मूल राशन कार्ड रामचन्द्र पिता जीवणराम दर्ज है, प्रदर्श – 7 है। दिनांक 25.06.2018 को बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 7 के अनुसार वाद स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। साबिक जमाबन्दी संवत 2022 से 25 जो प्रदर्श – 1 है आ0न0 557 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा जीवण वल्द खाजू कोम नाई सा0 देह अन्य आराजीयात के साथ दर्ज रेकार्ड है। नामान्तरकण संख्या 116 जीवण की विरासत का खोला गया जिसमे कॉलम नं0 11 मे भूरालाल, रामकिशन, गंगाराम, लाला पिता जीवण नाई सा0 देह0 दर्ज किया गया। किन्तु नामान्तरकरण तस्दीक करते समय तहसीलदार ने लाला का नाम छोड़ दिया एवं अन्य तीन उत्तराधिकारियो के नाम स्वीकृत कर दिया गया। इसी अनुरूप जमाबन्दी संवत 2030–33 जो प्रदर्श – 2 है आ0न0 557 का अमल भूरालाल रामकिशन, गंगाराम पिता जीवण नाई सा0 देह हि0ब0 दर्ज हो गया। जमाबन्दी संवत 2068 से 71 मे साबिक के हाल नम्बर 1803 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ व आ0न0 1804 रकबा 0.37 है0 कुल किता

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

02 रकबा 0.38 है0 प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के नाम उनके हिस्से अनुसार दर्ज रेकार्ड है। मिलान क्षैत्रफल से साबिक एवं हाल रेकार्ड की पुष्टि होती है। वादी का नाम फोटो पहचान पत्र, नगर पालिका शाहपुरा द्वारा जारी राशन कार्ड में रामचन्द्र पिता जीवणराम दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि नामान्तरकण सही खोला गया किन्तु तहसीलदार द्वारा तस्दीक करते समय वादी का नाम छोड दिया गया तथा आगे की जमाबन्दियों मे वादी का नाम इन्द्राज नही हुआ। जिससे वाद पत्र की पुष्टि होती है। अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर0टि0ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा मे स्थित जमाबन्दी संवत 2068 से 71 खाता नं0 2100 आ0न0 1803 रकबा 0.01 है0, गै0मु0 कुआ, आ0न0 1804 रकबा 0.37 है0 किता 02 रकबा 0.38 है0 मे दर्ज प्रतिवादीगण के साथ वादी को हि0ब0 का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज के आदेश तहसीलदार, शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास श्री के0आर0 यादव, आर0ए0एस0

रामचन्द्र उर्फ लाला पिता जीवणराम नाई नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा
– वादी

बनाम

1– रामनिवास पिता भूरालाल नाई नि0 कलिंजरी गेट, शाहपुरा तह0 शाहपुरा
2– रामकिशन पिता जीवणराम नाई नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा
3– राकेश पिता गंगाराम उर्फ बाबूलाल नाई नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा
4– तहसीलदार, शाहपुरा
– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–89–188 आर0टि0ए0
मुकदमा नम्बर 12 सन् 2016

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .... X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा मे स्थित जमाबन्दी संवत 2068 से 71 खाता नं0 2100 आ0न0 1803 रकबा 0.01 है0, गै0मु0 कुआ, आ0न0 1804 रकबा 0.37 है0 किता 02 रकबा 0.38 है0 मे दर्ज प्रतिवादीगण के साथ वादी को हि0ब0 का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज के आदेश तहसीलदार, शाहपुरा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 25 माह 06 सन् 2018 से जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर शाहपुरा
(जिला भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner